आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

(कौशिल्या भवन परिसर, बैरन बाजार रायपुर)

☏ 0771–2423507, 2331316 फैक्सः 0771–2422627

–:: आदेश ::–

रायपुर, दिनांक 29 / 06 / 2015

क्रमांक 1845 **/ 2015 / आ.सा.सं. / 1–प्रशा. (गोप.)** :– छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 4–35 / 2008 / 23, दिनांक 15.07.2014 द्वारा सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा **संगणक (डाटा एण्ट्री ऑपरेटर) एकजाई मासिक वेतन रूपये 10670 / –** पद पर संविदा नियुक्ति के पदों पर निम्नलिखित उम्मीद्वार को अस्थाई रूप से उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर निम्नांकित शर्तों के तहत **कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए** संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती हैं :–

क्रं.	अभ्यर्थी का नाम एव पिता / पति का नाम	वर्ग	पदस्थी स्थान
1	2	3	4
01	श्री सुमीत अग्रवाल पिता श्री रामसनेही अग्रवाल	अनारक्षित	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

नियुक्ति की शर्तें :–

1. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा । संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेय समाप्त मानी जावेगी ।
2. संविदा नियुक्त कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी ।
3. संविदा पर नियुक्त उम्मीद्वार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगें।
4. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है, उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।

//2//

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवदेन लिखा जावेगा ताकि यदि आगामी वर्ष संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्याकंन हो सके ।
7. अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिले के मेडिकल बोर्ड चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । तत्पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन स्वीकार किया जावेगा ।
8. उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। चरित्र संदिग्ध पाये जाने पर आदेश निरस्त समझा जावेगा ।
9. दिनांक 06/07/2015 के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा ।
10. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पदों की संविदा नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग आरक्षण अधिनियम 1994 एवं उसके अधीन जारी नियमों/आदेशों का पालन किया गया हैं ।

(अमिताभ पांडा)
आयुक्त सह संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्रं.1846/2015/आ.सा.सं./1–प्रशा. (गोप.), रायपुर, दिनांक 29/06/2015

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला कोषालय अधिकारी, जिला– रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
3. वेतन शाखा/बजट शाखा, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्री सुमीत अग्रवाल पिता श्री रामसनेही अग्रवाल, बसंत बिहार कॉलोनी, निधि कूलर के पास, कुशालपुर, रायपुर, छ.ग. (492001) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

आयुक्त सह संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर